31-5-19 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी वकील उपस्थित हुये। प्रतिवादी वकील अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। पत्रावली धारा 188 R.T. Act के तहत वर्ष 2012 में दर्ज की गई। पत्रावली दिनांक 29-11-2017 से साक्ष्यवाद कि स्टेज पर चल रही। वादी वकील को साक्ष्यवाद प्रस्तुत करने हेतु कई बार मौका देने के बावजूद भी वादी वकील द्वारा साक्ष्यवाद प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी वकील दि: 17-12-2018 तक साक्ष्यवाद प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 17-12-18 को वादी वकील की शर्त में है।

:. निरन्तर.-

साक्ष्य बंद कर दी गई है। पत्रावली में साक्ष्य बंद होने से प्रकरण में दस्तावेज प्रदर्श करवाया जाना संभव नहीं है, साथ ही यह भी प्रकट होता है कि वादी को पर्याप्त अवसर के बावजूद यदि वादी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर रहा है इसका अर्थ है कि वादी की अपनी वाद के निस्तारण में किसी प्रकार की रुचि नहीं है एवं वह न्यायालय का कीमती समय जाया करना चाहता है।

अतः उपर्युक्त समस्त कारणों के परिप्रेक्ष्य में वाद वादी खारीज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक अधिकारी